लिये यह जरूरी है कि इसमें ठोस कदम उठाये जायें। मैडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेजों आदि प्रशिक्षण वाले संस्थानों में भी इन लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

(VIII) NEED FOR PROVIDING EQUAL OPPORTUNITIES FOR ALL IN THE FIELD OF EDUCATION.

श्री टी० एस० नेगी (टिहरी-गढ़वाल) : उपाध्यक्ष जी, भारत में दिशामूलक शिक्षा के अभाव में 'प्रतिभा पलायन' की स्थिति निर्मित हो रही है। शासन में बैठे लोग भारतीयता के प्रति उपेक्षा की नजर रखते हैं, वे इस दुर्गति पर मौन हैं। सबसे अधिक असर बाल शिक्षा पर हुआ है। इसी कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था पूर्णतया दिशाहीन हो गई है। 35 वर्षों में प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा ज्यादा हुई है। यह दुर्गति शहरी, कस्बाई और ग्रामीण स्तर पर मौजूद है। पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में विदेशी शिक्षा का एक प्रकार से आधिपत्य है। वहां न भारतीयता के मूल्य हैं न संस्कृति की शिक्षा जिसके परिणाम भी सरकार के सामने आये हैं।

देश का 35 प्रतिशत वह खेत मजदूर वर्ग जिसमें हरिजन, आदिवासी, छोटे किसान निहायत गरीब लोग आते हैं इन परिवारों के लोग बड़े किसानों एवं साहूकारों के यहां बंधुआ मजदूर बने हुए हैं। इनके बच्चे विद्यालयों की सीढ़ी ही नहीं चढ़ पाते। 40 प्रतिशत मध्य किसान ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को पांचवी कक्षा से आठवीं कक्षा तक पढ़ा पाता है इसमें भी लड़कियों का प्रतिशत शून्य के बराबर ही होता है।

ग्रामीण भारत की 80 प्रतिशत गाढ़ी कमाई का शहरों की चका चौंध पर सुविधा सम्पन्न विद्यालय निर्मित करने पर खर्च किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों को हेय दृष्टि से देखा जा रहा है। पब्लिक स्कूलों में गरीब लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं इसलिये गरीब का लड़का आई.ए.एस. बनने तक की शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता। प्राथमिक शिक्षा का मामला पूर्णतया उलझा दिया गया है, जो समग्र शिक्षा की आधारशिला थी, उसे चूर-चूर कर दिया गया है।

हमारी मांग है कि चाहे गरीब का लड़का हो चाहे अमीर का, स्कूल और शिक्षा दोनों की एक जैसी ही होनी चाहिये। सुविधाएं एक जैसी मिलनी चाहियें। शिक्षा के क्षेत्र में असमानता होगी, तो हर क्षेत्र में असमानता रहगी। यह लोक महत्व का मामला है, इस पर सरकार को अविलम्ब कार्यवाही करनी चाहिये।

MR. DEPUTY SPEAKER : The House stands adjourned to meet at 2.15 p.m.

13.12 hrs.

THE LOK SABHA ADJORNED FOR LUNCH TILL FIFTEEN MINUTES PAST FOURTEEN OF THE CLOCK.

THE LOK SABHA RE-ASSEMBLED AFTER LUNCH AT TWENTY MINUTES PAST-FOURTEEN OF THE CLOCK

[*Mr. Deputy-Speaker in the Chair*]

CANTONMENTS AMENDMENT BILL—CONTD.

MR. DEPUTY-SPEAKER : We will now take up discussion and voting on the Cantonments (Amendment) Bill. Shri Harish Rawat-Absent. Acharya Bhagwan Dev.

The time allotted for this Bill is 3 hours. We have already exhausted 43 minutes. The time left is 2 hours and 17 minutes. If you all co-operate, we can complete this Bill today. I hope you will all extend your co-operation.

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, छावनी संशोधन विधेयक जो भारत सरकार द्वारा सदन में पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह छावनी कानून सन् 1924 में बना था, तब से लेकर अब तक कई बार इस पर विचार होता रहा, कुछ सुझाव आते रहे, लेकिन संशोधन नहीं हो पाया। यह पहली बार संभव हो सका है कि विस्तृत रूप में यह संशोधन लाया गया है। इसलिए मैं भारत सरकार को बधाई देता हूं। इसी बीच में सन् 1937 में भूमि कानून व्यवस्था संबंधी और उसी वर्ष 1937 में छावनी कर्मचारी राशि निगम भी बनाया गया। इन तमाम समस्याओं के ऊपर अच्छी तरह से चिन्तन मनन करने/और बहुत ही सुन्दर तरीके से संशोधन पेश किए गए हैं।

कल हमारे विरोधी पक्ष के एक सदस्य ने यह कहा कि यह संशोधन बिना अच्छी तरह से विचार किए पेश किया गया है, जिस से मैं सहमत नहीं हूं। उसी विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य ने यह भी स्वीकार किया कि समय-समय पर विभिन्न ईकाई द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल किया गया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत सरकार के पास समय-समय पर जो भी सुझाव आते रहे हैं, उनको ध्यान में रखकर ही जो कमेटी बनी उन्होंने संशोधन करके यह बिल पेश किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य ने जो विचार रखे उन्हीं के शब्दों में उनकी बात कट जाती है। वास्तव में इसमें अनेक प्रकार की खामियां रही हैं। देश में लगभग 60-65 छावनियां हैं। उस वक्त इन छावनियों के आसपास इतनी बस्ती नहीं थी। अब एक-दो दुकानें बढ़ते-बढ़ते नगर बस गए हैं और इस कानून को बने हुए भी 60 साल हो गए हैं। वहां व्यवस्था नागरिकों के लिये करनी है। वहां मिलिट्री छावनी भी है और नागरिकों की बस्ती भी है जिस के कारण अनेक प्रकार कठिनाइयां पैदा होना स्वाभाविक है। मिलिट्री छावनी होने के नाते जो सैनिक लोग और उनके अधिकारी वहां रहते हैं, उनकी सुविधायें उसी के अनुसार की जाती हैं, लेकिन जो नागरिक वहां बस गये हैं उनकी स्थिति बिलकुल विपरीत है, उन के पास उतनी सुविधायें नहीं हैं। अधिक असमानता न हो, किसी को कोई दिक्कत न हो, इस दृष्टि से इस संशोधन बिल को यहां पर पेश किया गया है। फिर भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन के बारे में सोचना आवश्यक है-जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा की बात है, इन के लिये प्रान्तीय सरकारों को अधिकार दिये जाने की बात है। मैं समझता हूं कि इस पर रक्षा मंत्रालय को सोचना चाहिये। केन्द्रीय सरकार और रक्षा मंत्रालय यदि इस पर ध्यान देंगे तो उससे वहां के नागरिकों को न्याय मिल पायेगा, अन्यथा आमदनी का जरिया न होने के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयां खड़ी हो जाती हैं। सड़क, बिजली और पानी की अनेक समस्यायें खड़ी हो जाती हैं।

आप ने इस बिल में बोर्ड का समय बढ़ाया है, जो उपाध्यक्ष का पद है उसकी अवधि ढाई साल की निश्चित की है। मैं समझता हूं-रक्षा मंत्रालय को इस पर भी सोचना चाहिये। जब बोर्ड का कार्यकाल पांच साल का है तो उपाध्यक्ष की नियुक्ति ढाई साल के लिये कहां तक उचित है। विधान सभा और पार्लियामेंट की अवधि के आधार पर ही इस को भी सोचना चाहिये, अन्यथा अनेक प्रकार की अव्यवस्थायें खड़ी हो जायेंगी।

एक निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि कैन्टूनमेंट बोर्ड का चेअरमैन एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जो सामाजिक व्यक्ति हो, क्योंकि उसको नागरिकों के साथ भी सम्बन्ध रखते होंगे। हम कई छावनियों में गये हैं, हमने देखा है कि चेअरमैन मिलट्री का अधिकारी होता है और वह मिलिट्री के ढंग से चलता हैं, सामान्य नागरिकों के साथ उसका सम्पर्क नहीं होता है, मीटिंग के टाइम पर ही जो प्रतिनिधि होते हैं

उन के साथ ही उस की वार्तालाप होती है --मैं चाहता हूं कि इस पर भी विचार किया जाय कि चेअरमैन ऐसा व्यक्ति हो जो लोगों के साथ सम्पर्क रखने वाला, उन की समस्याओं में रुचि रखनेवाला व्यक्ति हो ताकि लोकल लोगों के साथ मिल कर वह व्यवस्था कर सके और उनकी समस्याओं का समाधान कर सके जिससे आने वाले समय में कोई दिक्कत उनके सामने खड़ी न हो ।

इसी सम्बन्ध में एक सुझाव मैं यह देना चाहता हूं-जब छावनियां बनाई गई थीं वे शहर से बाहर थीं, लेकिन अब जितनी छावनियां हैं वे शहर के बीच में हैं, इस से बहुत सी समस्यायें खड़ी हो गई हैं । जो छावनियां शहर के बीच में आ गई हैं-उन की जमीनों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं । यदि उन जमीनों को बेच कर छावनी को शहर के बाहर ले जाया जाय तो इससे उस जमीन का उपयोग भी होगा साथ ही जिस परपंज से बेचेंगे उस से आमदनी का जरिया भी बन सकता है मिलिट्री को हमेशा शहर से बाहर रखना चाहिये--अगर इस तरह की व्यवस्था रक्षा मंत्रालय कर दे तो इस से एक बड़ा लाभ यह भी होगा कि कभी-कभी नागरिकों के साथ सैनिकों के जो झगड़े खड़े हो जाते हैं, वे समाप्त हो जायेंगे । मैं एक उदाहरण आप के सामने रखता हूं--पुरानी दिल्ली में यूनिवर्सिटी कैम्पस की जो जमीनें हैं उन में बहुत सी रक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित हैं, यूनिवर्सिटी कैम्पस से सम्बन्धित हैं और दिल्ली प्रशासन से भी सम्बन्धित हैं । मैं चाहता हूं कि इस तरह की जो जमीनें पड़ी हुई हैं, जिनका इस समय कोई उपयोग नहीं हो रहा है उन जमीनों को भारत सरकार बेच दे, रक्षा मंत्रालय बेच दे ताकि उन का पैसा भी अच्छा आये और उस जमीन का उपयोग भी हो, चाहे दिल्ली यूनीवर्सिटी अपने प्रोफेसरों के लिये उसका उपयोग करे या छात्रों के लिये बोर्डिंग हाउस स्थापित करे परन्तु शहर के बीच में जो इस तरह की जमीनें पड़ी हुई हैं उन का उपयोग हो सके, क्योंकि भारत की एक-एक इंच भूमि की अब कीमत बढ़ती जा रही है । तो इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए । रक्षा मंत्रालय और भारत सरकार ने गत तीन वर्षों में जो छावनियों के विकास पर ध्यान दिया है, मैं समझता हूं उसके लिए ये बधाई के पात्र हैं । मेरे क्षेत्र में नसीराबाद में मिलिट्री छावनी है और उसको मैंने देखा है । चाहे वह प्रान्तीय सरकार हो और चाहे वह भारत सरकार हो या उसका रक्षा मंत्रालय हो, वहां पर जो दिक्कतें आती रही हैं, उन पर सरकार ने ध्यान दिया है । वहां पर बीच में जो मैदान हैं उसमें रक्षा मंत्रालय द्वारा बहुत कुछ काम किया जा सकता हैं । वहां पर जो रिटायर्ड सैनिक हैं, उन की सेवाएं ली जा सकती हैं और जो सैनिकों की विधवाएं हैं, उनके कल्याण के लिए कुछ किया जा सकता है या सैनिकों के बच्चों के लिए कुछ खड़ा करना है, तो वह वहां पर बनाया जा सकता है । इस प्रकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को साकार करने के लिए भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय अगर ध्यान देगा, तो बहुत ही अच्छा रहेगा ।

चेयरमैनशिप के बारे में मैं ने कहा ही है कि चेयरमैन ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए, जो व्यवहारिक हो और नागरिकों से जिस का संबंध हो जैसे हमारी भारत सरकार ने एयर चीफ मार्शल श्री मेहरा को, उनके रिटायर होने के बाद हमारे राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया है । उनको हमने देखा है । वे एक सामाजिक व्यक्ति है । इसी तरह से मि० लतीफ को महाराष्ट्र का गवर्नर बना दिया । है ऐसे व्यक्तियों को, जिन का नागरिकों के साथ सम्पर्क हो, चेयरमैन बनाया जाए और मैं आशा करता हूं कि रक्षा मंत्रालय मेरे सुझावों पर ध्यान देगा ।

नसीराबाद मेरे क्षेत्र में है और वहां पर एक छावनी आप ने बना रखी है, जैसाकि मैंने पहले निवेदन किया है, लेकिन वहां पर मकान,

सड़क, बिजली और पानी की बहुत सी समस्याएं हैं। वहां पर एक हैलीपेड भी है, जिस का निर्माण-कार्य पूरा कराना चाहिए। कई साल से वह पड़ा हुआ है। आप जानते ही हैं कि इधर पाकिस्तान की कुचेष्टा चल रही है और उसके दिमाग में एक फितूर सवार है और अपनी कमजारियों को छिपाने के लिए हो सकता है कि वह भारत के साथ युद्ध छेड़ दे। नसीराबाद के पास ही अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह है। वहां जो हैलीपेड है; वह बहुत अच्छा है और उस को उपयोग में लाया जा सकता है और मैं समझता हूं कि उस हैलीपेड का अच्छी तरह से निर्माण कराकर और उसकी मरम्मत करा कर उसको ठीक कराया जाना बहुत आवश्यक है ताकि किसी भी समय उसका उपयोग हो सके।

हमारे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य ने कल यह कहा था कि यह विधेयक बहुत जल्दबाजी में लाया गया है और इसको स्वीकार करने में जल्दी नहीं करनी चाहिए और इसको दोनों सदनों की समिति को वापस लौटाया जाए। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। 60 साल हो गये हैं और अब बड़ी मुश्किल से यह संशोधन विधेयक आया है और यह कुछ विचार लेकर और कुछ सुझावों के साथ आया है। इसलिए इसको वापस भेजने की आवश्यकता नहीं है। लोक सभा और राज्य सभा सर्वोपरि हैं और इस में समिति के सारे सदस्य हैं। वे मुकम भाव से यहां पर अपने विचार रखें और जो विधेयक लाया गया है, उस को सर्वसम्मति से पास किया जाए।

इन शब्दों के साथ, जो संशोधन विधेयक माननीय रक्षा मंत्री जी ने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : उपाध्यक्ष जी, 60 साल हो गये हैं और सन् 1924 में अंग्रेजों ने छावनी बोर्डों के बारे में जो कानून बनाया था, करीब 60 साल से उसी कानून के सहारे पर छावनियां और उन के बोर्ड कार्य करते रहे हैं।

हमारे देश में कुल 63 छावनियां हैं और एस्टीमेट्स कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में यह बताया गया है। सिर्फ 12 छावनियां ऐसी हैं जो अपने मामलों में आत्म निर्भर हैं।

पहली बात तो यह है कि सन् 1947 में आजादी के समय ही हमको इस कानून को बदल देना चाहिए था। जिस वक्त इस देश में प्रजातंत्र स्थापित किया गया उसी वक्त बोर्डों को भी प्रजातांत्रिक तरीके से गठित किया जाना चाहिए था। अंग्रेजों के समय की स्थिति आज नहीं रही। मैं मांग करता हूं कि इन बोर्डों की व्यवस्था जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में दी जानी चाहिए। जिस तरह से नगरपालिकाओं द्वारा महानगरों की व्यवस्था होती है उसी तरह से इन छावनियों में भी बोर्डों की व्यवस्था जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में होनी चाहिए।

इस कानून में परिवर्तन करके यहां की व्यवस्था में कोई आमूलचूल परिवर्तन करने आप नही जा रहे हैं। जब राज्यों को बिक्रीकर, रोड टैक्स आदि वसूल करने का अधिकार है, मनोरंजन कर वसूल करने का अधिकार है तो फिर यहां की व्यवस्था चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में क्यों नहीं होनी चाहिए।

कई वार यहां पर झगड़े भी खड़े हो जाते हैं। जैसे कोई राजमार्ग छावनी के बीच से गुजरता है तो सवाल पैदा हो जाता है कि इसको कौन बनाए। राज्य इसको बनाए या छावनी बोर्ड इसको बनाए? इसलिए मेरी मांग है कि 1924 के इस कानून में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। इन बोर्डों के प्रतिनिधियों का चुनाव जनता द्वारा किया जाना चाहिए।

यहां की व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है। यहां पर लोगों के लिए न तो स्कूलों की उचित व्यवस्था है और न अस्पताल और सड़कों की उचित व्यवस्था है। कर राज्य वसूल करता है। शिक्षा जैसी प्राथमिक चीज की व्यवस्था को देखकर आप अंदाजा लगा सकते है। 35 साल में इन छावनियों में 9 प्राइमरी स्कूल और 14 हाईस्कूल खोले गए हैं। आज आबादी कितनी बढ़ गई है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए मेरी मांग है कि वहां पर सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और रहन-सहन में सुधार लाने के लिए व्यवस्था जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में दी जानी चाहिए। जिस बोर्ड का चेयर मैन सैनिक अधिकारी होगा, वहां की व्यवस्था के बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं। वहां पर असैनिक नागरिकों के घरों में सफाई की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था और स्वास्थ्य की व्यवस्था की जानकारी इनको कैसे हो सकती है।

इसलिए मैं मांग करता हूं कि जिस तरीके से नगरपालिकाएं राज्यों की वित्तीय सहायता से सारी व्यवस्था करती हैं, उसी तरह की व्यवस्था यहां पर भी होनी चाहिए। व्यवस्था करने के बारे में ये बोडं अक्षम साबित हो चुके हैं। 35 साल में ये वहां पर कोई ठीक व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। जनता की सुविधाओं के लिए सड़क, सफाई, स्कूल, अस्पताल आदि की व्यवस्था जनता के प्रतिनिधियों के हाथों में दीजिए। ताकि जनता के प्रतिनिधि बोर्ड के सामने जाकर यह बता सकें कि वैसी व्यवस्था उनमें है। आपके जो पदेन सदस्य हैं, उनसे भी ज्यादा इसमें एक सदस्य होता है। जो असैनिक कर्मचारी हैं, वे इंटरविन नहीं कर सकते और न ही प्रेशर डाल सकते हैं जिससे कि वे अपनी इच्छानुसार इन बोर्डों की व्यवस्था कर सके। मिलिटरी के द्वारा हिन्दुस्तान के असैनिक नागरिकों और असैनिक बस्तियों पर जो उनकी सेवा के लिए वहां रहते थे, उनको डोमीनेट करने के लिए जो कानून बनाया था, उसी को संशोधन करके हिन्दुस्तान के असैनिक नागरिकों पर उनका डोमीनेशन बरकरार रखने के लिए संशोधन कर रहे हैं। जिस मंशा से अंग्रेजों ने कानून बनाया था, जिनके हम गुलाम थे मैं समझता हूं उसको संशोधित करने की जरूरत नहीं है। आप इस कानून को कंपलीटली खत्म कीजिए और इस हाउस में नया कानून लाइए। इस तरह का कानून लाइए ताकि मिलिटरी के अफसरों पर असैनिक कर्मचारियों पर और असैनिक बस्तियों पर उनका डोमीनेशन न हो। जिस छावनी का कमान्डर-इन-चीफ उस बोर्ड का चेयरमैन होगा उसकी मर्जी के खिलाफ वे लोग कैसे बोल सकते हैं? वित्तीय स्थिति भी इतनी खराब है कि इस संशोधन के बावजूद भी सुधार नहीं होगा। इन छावनी बोर्डों की वित्तीय व्यवस्था घाटे में चल रही है। राज्यों से भी सहायता नहीं मिलती। राज्यों की ओर इन बोर्डों की वित्तीय व्यवस्था में इतनी बड़ी खाई है कि ये बोर्ड भी अपने आपको असमर्थ समझते हैं। कमान्डर-इन-चीफ या बोर्डों की शिफारिश पर मिनिस्ट्री आफ डिफेन्स जो कार्यवाही करती है, उसमें बहुत डिले होता है। वित्त आयोग या दूसरे आयोग भी इन्हें सही समय पर वित्तीय सहायता दे सकें, उन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए। अंग्रेजों का जो प्रोसीजर था वह बहुत टफ था और उस रास्ते पर चलकर असैनिक बस्तियों को कोई सुविधा नहीं मिलने वाली है।

बोर्ड या कमाण्डर-इन-चीफ जमीन का अर्जन कैसे करेंगे। इसके लिए मिनिस्ट्री आफ डिफेन्स या भारत सरकार के कोई डाइरेक्टिव प्रिसिंपल्स इनके पास नहीं हैं। जो चाहे बोर्ड और कमान्डर-इन-चीफ तय कर लें। मैं आगरा के केन्टोनमेंट के बारे में बताना चाहूंगा। हो सकता है वह मंत्री जी की नालेज में हो। वहां पर वक्फ बोर्ड की जमीन थी जिसको बोर्ड के अधिकारियों ने वहां के बिजनेस मैन के साथ साजिश करके वह जमीन बेच दी। कौन आदमी यह हिम्मत कर सकता है कि वह कमान्डर-इन-

चीफ के खिलाफ आवाज उठाए ? मिनिस्ट्री को भी कोई कंपलेंट नहीं कर सकता कि इन्होंने जमीन बेच दी है । हर जगह आपको इल्लीगल पोजेशन मिल जायेगा उसमें इनके आफिसर्स भी होते हैं । इसलिए, जमीन के सवाल पर मैं मांग करूंगा कि 35 सालों मे भी आपका बोर्ड अच्छी व्यवस्था नहीं कर पाया है । जो इलीगल पोजेशंज हैं उनको आज तक बोर्डों के कमांडर इन चीफ या अधिकारीगण डिसपोजैस नहीं करवा पा रहे हैं । मेरी मांग है कि 1924 में जो कानून अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था और जिसका संसोधन आप आज करने जा रहे हैं, इसको आप वापिस लें और हिन्दुस्तान में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्ज के आधार पर एक ऐसा कानून बनाएं जिसके द्वारा जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में इन असैनिक बस्तियों का, असैनिक नागरिकों के वास्ते व्यवस्था करने का, अधिकार सोंपें और वे लोग सुविधाओं को जुटाने के लिए उत्तरदायी हों ।

इन शब्दों के साथ मैं इस संसोधन विधेयक का विरोध करता हूं और मांग करता हूं कि जम्हूरियत के सिद्धान्तों के आधार पर कानून लाया जाना चाहिये ।

SHRI R. S. SPARROW (Jullundur) : Sir, This Cantonment Amendment Bill that has been brought in is, in my opinion, very well-conceived. The changes inevitably are a running process and so long as any problem is judiciously taken in hand apropos the conditions obtaining, it does not offer you any kind of jerk or disturbance. And for that, at the very outset, I personally feel that this Bill is very well-conceived. There is no end to perfection.

In the course of my short talk, I will bring out one or two recommendations also which may possibly be taken in by the Government in this context.

Over the years, the character, the conditions and the situations of each Contonment keep on changing.

Conditions change and, as you have already heard some of my colleagues speaking, that certain Cantonments have overgrown their size in relation to what they have put inside the Cantonments and that is why, in certain Cantonments you will find that they have been more or less surrounded by the civilian area in a much more congested manner than it was at any time envisaged before. So, the character and the situation as also the manner in which those Cantonments have to be used has changed. In fact, it is interesting to note that if you visit all the Cantonments all over India you will find that they are divergent to each other even in their dispositions, locations and certain other things.

So, when you frame any new Bill or Amendments to that, this particular factor shall have to be taken into account because the uniformity of disposition is not exactly same. On the frontier part of it, say, it may be the northern frontier or North-Western frontier, whichever are your frontiers, the character seems to be a little different type than it may have been put in the middle of India where you have other types of organisations and installations and establishments.

I would like to draw the attention of the Minister of Defence and of the Minister of State in the Ministry of Defence to Clause 14 and in that context, I would like to urge, as has also been done by some other friends, that the tenure of the Vice-President of the Cantonment Board should not be 2-1/2 years but, it should be five years, as is the case with other Members of the Executive Committee. This seems quite natural. You put up any kind of organisation. Th.ere has to be very specific reason as to why the tenure of that elected personnel should vary in rela. tion to his colleagues.

So, I would wish to recommend with all solemnity that this little change may please be accepted.

Another point I would like to bring to your kind notice is in relation to the cantonment educational schools as also hospitals run under the aegis of the Cantonment Boards themselves. This is just a start of looking after your own childern at hand and your own personnel at hand. For that reason I

would wish to recommend that this practice must continue. Is is part and parcel of cantonment life. If there should be any augmentation, and if you find that it is necessary to do so through the help of the State Governments, there is no reason why it should not be so done. If the necessity so demands that there has to be a good college established and if you can afford to find some space for that college, there is no reason why that large cantonment area should not take advantage of that, and if the educational high command of the State accepts this type of step and they augment their income by putting up such type of requirements, I think, they should be welcomed. But one should resist the temptation of handing over everything to the State and not let the Cantonment Board exercise or handle their own family requirements in such type of cases.

In relation to hospitals and also in relation to health arrangements, one has to work very carefully as per tradition. The tradition all round and all along has been that the Armed Forces Cantonment Boards always kept the cantonments very healthy and clean. It was a good example. It is part of military discipline so to say, and if those who live together carry the same discipline and the same way of life from health point of view, why should that not be done ? For that reason I would wish to recommend that the health part of it and the hospital part of it should also be handled by them in their own cantonment areas with one little recommendation to be kept in view and that recommendation is this. Some of the smaller staff of the cantonment Boards sometimes have the habit of harassing people saying that such and such things are not clean and they have to pay so much money, this, that and what not. So, one has to very careful whilst framing the rules and modalities and has to take into consideration the fact that this is our own country, all the people living within the cantonment area, are our own people. Giving wrong orders or instilling fear in their minds should not be allowed to persist. I am talking about not only the health angle of it but also any other part of it. Somebody would go to somebodyelse's house and ask, 'Why have you got these vegetables grown here? Growing vegetables within his own little area is his birth-right. Why should he not grow vegetables ? What is wrong with that ? Picking up some kind of a little thread out of the written formula or enunciated law and then start misusing it to the wrong advantage of the public life, that one should try to cut out. In so far as any kind of amendment to the rules or modalities that you would wish to bring in is concerned, I would wish to recommend very strongly, in due course of time, we should possibly have to see once again all those things very carefully so that we accommodate the give—and—take process of the public at large, the civilian element and the armed forces element living together whith feelings of brotherhood and with give--and—take. You go to any advanced country; you will find that this thing is happening. They all mix about easy enough, they respect each other easy enough. Cantonments are there. There are firing areas, there are ranges, there are all types of things, and yet everything works very well and very very smoothly. There is no question of some—one having to say that it is the old British Raj or something. No. That has all gone overboard We should not care a tuppence. We have to have our own way of life. Nevertheless we have to respect each other. The civilian counterpart has to make certain adjustments. Anything that teaches and gives them a little discipline should be welcome and there is nothing wrong about it. On the other side of it also one has to respect his brother. The civilian who is helping you after all, what is he doing there ? The civilians are there to sell things to you, make it convenient for the Jawans and other personnel to go to the Lalkurti Bazar or to the Toshkhana bazar and buy their things and needs handy and it is a question of one family working. And if we can bring about any kind of legislation, any kind of an Act or a Bill which really gives you this type of situation in hand, I think that should be drawn at any time.

So, Sir, I will not be dwelling long on this question. I would wish to once again in fact thank the Defence Minister and the hon. State Minister for putting their heads into creating something which really is an improvement on what it used to be before.

With these words, I thank you very much for giving me the time.

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (गढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, में हिन्दी मैं ही बोलूंगा जिसे हमारे यहां के लोग ज्यादा समझेंगे ।

MR. DEPUTY SPEAKER : You may speak in any language, I can understand both.

SHRI H.N. BAHUGUNA : I would like to speak in Hindi.

आचार्य भगवान देव : हिन्दी में ही बोलिये ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : भगवान का हुक्म है, हिन्दी में ही बोलूंगा ।

एक बड़े आवश्यक संशोधन विधेयक पर हम चर्चा कर रहे हैं । कन्टोनमेंट की आवश्यकता को कोई इन्कार नहीं कर सकता । अभी मुझसे पहले हमारे सदन के एक बड़े सम्मानित, अनुभवी सदस्य आनरेबल जनरल स्पेरों ने इस सम्बन्ध में कुछ चर्चा भी की है । मेरा पूरा विश्वास है कि उनके सामने पूरी तस्वीर रही होगी जब वह सबालट्रन होकर गये थे और फिर जनरल बने । उसके बीच कैन्टोनमेंट की हालत में तबदीली आई और उनका उनके मन पर क्या क्या प्रभाव छूटा है ।

मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि उन्होंने 'शाबाश' कहने में, जो आर्मी जनरल का तरीका होता है कि जवान का मन मजबूत करने के लिये शाबाश कहता है, उन्होंने भी इस बिल में शावाशी दे दी है मिनिस्टर को और स्टेट मिनिस्टर को । इस शाबाशी के लायक काम तब होगा जब सभी कैन्टोनमेंट बोर्ड मे पीने के पानी की व्यवस्था हो जाये ।

मैं कुछ शर्म के साथ, पर नम्रता के साथ याद दिलाना चाहता हूं और मुझे खुशी भी है कि श्री वेंकटरमण साहब ने गौर से मुझे सुना था और कहा था कि कुछ करूंगा, देहरादून के कैन्टोनमेंट में आज भी बहती हुई नाली से लोग पानी पी रहे हैं, उसमें कपड़े भी धुलते हैं, बर्तन भी धुलते हैं और शोच-क्रिया भी होती है और आज 36 साल के बाद भी उसी का पानी वहां पिया भी जा रहा है । मैंने बहुत लड़ाई झगड़ा किया, तो इस बार लगभग साढ़े 4 लाख रुपया एक मद में मिल गया । वह रुपया एम०ई०एस० को दे दिया गया । उन्होंने कुछ काम किया और बाद में कह दिया कि पहले फौज वालों को पानी पिला दें, जितने गैलन पानी सिविलियन को देना था, नहीं दिया । यह सही है कि जवानों को प्रायर्टी होनी चाहिये, लेकिन जवान के साथ जो काम करने वाला है, अगर उसको क्षय रोग हो जायेगा तो क्या जवान की हैल्थ पर असर नहीं होगा ?

मेरे साथी ने 62 कैंटोन्मैंट बोर्ड कहा था, लेकिन 64 कैन्टोनमैंट बोर्ड हैं । मेरा कहना है कि सरकार चाहे जितनी ताकत ले ले, मंत्री जी वहां पीने के पानी की व्यवस्था ठीक कर दें, सड़क ठीक कर दें, पर्यावरण विभाग आपने खोला है, इससे सारे पेड़-पौधे, आबोहवा, रहन-सहन बदल दें । ताकि हमारे जवान वहां ऐसे वायु-मंडल में रह सकें, जिसका कोई शहर मुकाबला न कर सकें । तब हम कहेंगें "शाबाश' अभी केसे कहें ? आज कैन्टूनमेंट्स में गिरते हुए मकान, टूटी हुई झोंपड़ियां, गन्दी बस्तियां हैं, दस दस सफाई कर्मचारी या खाने पकाने वाले कर्मचारी छोटी छोटी कोठरियों में रहते हैं । इन बातों से जवान की सेहत को खतरा है । फिर भी जैनरेल स्पेरो कहते हैं "शावाश" ।

15.00 hrs

सरकार इतनी ताकत किस लिए लेना चाहती है ? जो इस बिलके द्वारा प्रस्तावित है । "वास्मे देवाय हविषा विधेम—यह हवन किसलिए हो रहा है ? यह एमैंडमैंट किस लिए लाया गया है ? सरकार का इरादा क्या है ? लोगों ने कहा कि कन्टूनमेंट बोर्ड्ज को डेमोक्रेटाइज करो । मैं समझता हूं कि ठीक कहा । लेकिन क्या सरकार अपने कमांडिंग आफिसर की रीकमेंडेशन पर अमल करती है ? जब वह कहता है कि स्कूल खोलने के लिए या सड़क बनाने के लिए और पैसा चाहिए, तो सरकार उसकी नहीं सुनती है । सरकार का इरादा सिर्फ यह है कि वह हुक्म

भेजेगी कि हाउस टैक्स कितना बढ़ाओ । सरकार यह पावर भी ले रही है ।

उम्मीद यह थी कि सिविलियन लोगों की तादाद बढ़ाई जाएगी । आर्मी आफिसर्ज ज्यादा से ज्यादा तीन रखने चाहिए थे । गैरीजन कमांडर कैन्टूनमेंट बोर्ड का चेयरमैन रहता और उसके अलावा एम०ई०एस० तथा आर्मी के हैल्थ डिपार्टमेंट का एक एक प्रतिनिधि रहता । मेरे पूर्ववक्ता, जैनरेल स्पैरो, ने कहा है कि कोई कानफ्लिक्ट आफ इन्ट्रेस्ट्स नहीं है सड़क, बिजली सफाई, शिक्षा का इन्तजाम करना है । शिक्षा का काम राज्य सरकार को दिया जा रहा है । अगर इस बात को मान लिया गया तो जो थोड़ा बहुत कर रहा है, वह भी नहीं होगा मेरा कहना यह है कि सरकार वहां पर सिविलियन लोगों को कैप्टिव मैम्बर रख कर ज्यादा अच्छा नहीं कर रही है । जैनरेल स्पैरो ने दूसरे देशों में आर्मी और सिविलियन्ज में दोस्ती की बात कही है, जो जरूरी भी है और अच्छा भी है । लेकिन इस विधेयक से वह बात पूरी नहीं होने वाली है ।

हाउस के सब सदस्यों ने कहा है कि वाइस प्रेजीडेंट का कार्यकाल पाँच साल रहना चाहिए । मुझे उम्मीद है कि सरकार इसे सारे हाउस की सेन्स समझ कर इस एमेंडमेंट को स्वीकार करेगी और वोट नहीं करायेगी । सारे हाउस ने यह भी कहा है कि सरकार कैन्टूनमेंट बोर्ड में सिबिल एरिया कमेटी की पावर को कम क्यों कर रही है । सरकार सिविल एरिया कमेटी की पावर और एथारिटी को रेड्यूस कर के सारी पावर एक्सीक्यूटिव आफ़िसर को दे रही हैं । अगर गवर्नमेंट यहीं चाहती है, तो वह एमेंडमेंट लाए कि कैन्टूनमेंट बोर्ड में कोई नान-आफिशियल नहीं होगा । भुट्टो से राज्य ले लिया उसके जैनरेल्ज ने । सरकार 64 कैन्टूनमेंट बोर्डर्ज वाले शहरों का राज्य ले ले और उन्हें आदर्श शहर बना कर दिखाए ।

सरकार को सिविल एरिया कमेटी पर यकीन नहीं है और न ही उसे चुने हुए मेम्बरों पर यकीन है । उसे एक सरकारी कर्मचारी पर यकीन है और वह सारी पावर उसको देना चाहती है । जैनरेल साहब समझ रहे हैं कि इन्होंने अपनी अक्ल रखी हुई है । इन्होंने अपनी अक्ल नीचे के अधिकारियों के पास गिरवी रखी है, जो अफसरशाही चाहते हैं । मैं इसका घोर विरोध करता हूं । यह नहीं होना चाहिए । सारे देश में सिविल एथारिटी के मातहत आर्मी फंक्शन करती है । जब दूसरे जेनरलों के सुपरसेशन और थापर को चीफ़ आफ़ दी आर्मी स्टाफ बनाने की बात उठी थी, तो इसी सदन में जवाहरलाल जी ने तकरीर में कहा था :—

> "It must be made clear to the Army that the civil authority is predominant in the country." Except in cantonment.

आखिरी शब्द मैं जोड़ रहा हूं । ये पंडित जी के शब्द नहीं हैं । अगर भारत भर में आनरेवल वेंकटरामन साहब के नीचे कमांडर-इन-चीफ़ काम कर सकता है, डिफेंस सेक्रेटरी के नीचे सारे जनरल काम कर सकते हैं और इन का करैक्टर रोल डिफेंस मिनिस्टर लिख सकता है तो क्या कन्टोनमेंट बोर्ड के वाइज प्रैजीडेंट और बाकी मैम्बर किसी मतलब के नहीं है ? एक्जिक्यूटिव आफिसर उनका बिल्कुल अनोखा आदमी है । मैं इस दृष्टि और विचार का बिल्कुल विरोध करता हूं ।

इसी तरह से मान्यवर, मैं किस-किस की हालत के बारे में बताऊं । बेचारे इलाहबाद शहर का नाम लेना तो गुनाह हो गया है । जहां के केन्टोन्मेंट का हाल खराब है । सड़क हो या पीने का पानी । कन्टोनमेंट बोर्ड की जमीन है, नीलाम कर दी जाती है रईसो को इस बिल में अमेंडमेंट लाते कि लैंडलैस लेबरर्स को साल की साल खाली खेती लायक जमीन देगें । इलाहबाद में दो भाई लखपति हो गए हैं ।

इलाहबाद में हजारों बीघों में जमीन पर तम्बाकू लगाते हैं । हर साल पैसा देकर-लेकर ठेका लेते हैं । हम यह कहते हैं कि जितना रुपया पिछले साल लिया हो, उसमें कमी मत करिए, लेकिन हर शहर में कह दीजिए कि कन्टोनमेंट की जमीन भूमिहीन हरिजनों को दी जाएगी या एग्रीकल्चर के ग्रजुएट्स को दी जाएगी । पर इस सरकार में ऐसे अमेंडमैंट की गुंजाइश ही नहीं है । इस हाउस का कायदा ऐसा है, इस पर रूल्स की इतनी बेड़ियां लगी हुई हैं कि सरकार कोई अमेंडमेंट लाए, तो उसी अमेंडमेंट पर बोल सकते हैं, अपना दूसरा क्लाज से सम्बन्धित अमेंडमेंट नहीं दे सकते हैं । सारा देश महसूस कर रहा है कि बुनियादी अमेंडमेंट होना चाहिए, आप समझ रहे हैं कि अमेंडमेंट होना चाहिए, तो मेरी समझ में बात नहीं आती कि आपके इस अमेंडमेंट में जनहित का कहां ध्यान रहा है ।

लैंसडाउन में पानी नहीं है, लैंसडाउन में मकान गिर रहे हैं और लैंसडाउन का टैक्स रेट कन्टोनमेंट का, व्यापारी शहर कोट्द्वार से भी ज्यादा है । इस बारे में हमने मिनिस्टर साहब को लिख कर भी दिया है । मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि बरेली में एक नकटिया नदी है । जिस पर एक पुल है, लेकिन उस पर रेलिंग नहीं है । पिछले दस सालों में यदि आप गिनती करें तो दस-पन्द्रह आदमी-बच्चे मर गए, जानवर मर गए, लेकिन रेलिंग नहीं बन सकती है । क्योंकि वह कन्टोनमेंट के नीचे है, केन्टोनमेंट के नीचे है, तो कोई लड़ाई तो नहीं हो रही है । ब्रिज कोसिर्फ़ थोड़ा मजबूत करना है । इस ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए ।

इलाहबाद में एक सड़क है, जो कि मेरे घर के ठीक सामने से जाती है, जहां पर कि मैं किराए के मकान में रहता हूं । उस सड़क का झगड़ा है कि वह सड़क कन्टोनमेंट की है या म्यूनिसिपेलिटी की है । मेरा कहना है कि दोनों की है ।

15.08 hrs.

[श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीत हुए]

मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्टोनमेंट और म्यूनिसिपेलिटी के बीच में बहुत सारे उल्टे-सीधे रिश्ते हैं । मेरा कहना यह है कि केन्टोनमेंट कारपोरेशन एरियाज का इन्टरलिंक हो रहा है । इस में कुछ रुल्स बनाने चाहिए, ताकि दोनों पिरीयोडिकली आपस में बैठकर फैसला कर सकें ।

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमगंज) : वेंकटरमण साहब आ गए हैं, अब आप अंग्रेजी में बोलिए ।

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरमण) : नहीं, नहीं—आप हिन्दी में बोलिए, मैं समझ रहा हूं ।

SHRI H.N. BAHUGUNA : I congratulate Shri Venkataraman. He is a traditional Congressman and not a new one. That is the difference between him and others. I know that does not hurt his interest in any way. Sir, this proposition which I am submitting, I have already gone and met Shri Venkataraman and discussed with him about the difficulties in respect of Lansdown, Chakrata andBarelly. Dehra Dun, Allahabad. etc.

सवाल यह है कि इन तकलीफों को दूर करने के लिए आप कोई पावर बोर्ड को नहीं दे रहे हैं कि बोर्ड कुछ कर सके । केन्टोन्मेंट बोर्ड एक्जीक्यूटिव आफिसर और चेयरमैंन का कैपटिव रहेगा, यह बात बहुत खराब है । वेंकटरसण जी से ज्यादा बुद्धिमान आदमी, कानून का जानने वाला, लेबर - लॉज को कॉम्पाइल करने में सहायता देने वाला, जो लेबर लॉज के जनरल एडीटर रहे हैं, एमीनेंट लीगल माइंड के आदमी हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इनको वापिस करो । यदि इस बिल को सिलैक्ट कमेटी को रैफर कर दिया जाए, तो बहुत अच्छा है । दूसरी प्रार्थना मैं यह करना चाहता हूं कि इस

संशोधन विधेयक को एनलार्ज करने का स्कोप दो, इसका स्कोप बहुत लिमिटेड है । क्या जरा जरा बातें छेड़ी है । प्रोस्टिचूशन में जुर्माना दो सौ रुपए से पांच सौ रुपया कर दिया । कुछ अन्य मामलों में पांच सौ रुपए से पाँच हजार रुपए कर दिया—इन बातों से कुछ नहीं होगा । Let us build these sixty-four towns as the model towns for India from every point of view.

इन 64 जगहों पर आप सुधार कर दिखाइये तब ता ताकत लें वर्ना क्यों अपना बोझ बढ़ाते हैं ।

मुझे आशा है कि कैन्टूनमेंट बोर्ड के वाइस प्रेसिडेन्ट के लिये, वैंकट रमण साहब उस समय नहीं थे जो सुझाव दिया गया है कि उसका भी टर्म पांच साल होना चाहिए, यह सब की राय है, इसे सरकार मान लेगी । एक्जीक्यूटिव आफिसर की पावर्स सिविल एरिया कमेटी की पावर्स से बढ़ी नहीं होना चाहिए—यह भी सब की राय है, इसलिए इसे भी आप स्वीकार करें । जहां तक सिविल और आर्मी के रिलेशनशिप की बात है -आप यह तो बतलाइये कि कहां गड़बड़ है, सिविलियन मेम्बरों से कहां तकलीफ आई है ? एक्जीक्यूटिव आफिसर को इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव के मुकाबले आप ज्यादा कैसे ट्रस्ट करेंगे ? मेरी प्रार्थना है कि आप इन बातों को अवश्य देखें और इन के बारे में अपने उत्तर में बतलायें कि आप की जरूरत क्या थी और इस विधेयक से वह कैसे दूर हो रही है ।

बरेली के बारे में जो मैंने कहा था -नकटिया रिवर पर थिरिया निजाबत खाँ के रास्ते में जो पुल टूट गया है और जिस में कई लोग गिर कर मर गए हैं, उस के लिए तो आप जाते ही आर्डर दीजिए । जो अफसरान इस को सुन रहे हैं वे भी इस को नोट कर लें । मैं जब कभी उधर बैठता था तो ऐसे मामलों में उसी दिन कार्यवाही करता था । मेहरबानी कर के इस पुल को फौरन बनवाइये और उस पर रेलिंग लगवाइये । जब अगर कोई आदमी मरेगा तो वेंकटरमण साहब पर उस का पाप नहीं रहेगा, बल्कि उन पर रहेगा जिन्होंने इस बिल को बना कर जबरदस्ती वेंकटरमण साहब के हाथ में दे दिया है और वे बेचारे उस को हमारे पास ले आये हैं ।

मैं कैन्टूनमेंट्स के हालत को सुधारने की माँग करता हूं । फौज के फौजी की जिन्दगी के लिए, सिविल और आर्मी के बीच सहयोग के लिए, एक नई सूरत पैदा करने के लिए, आप इस सारे बिल को सिलैक्ट कमेटी को भेज दीजिए और इस सदन में जो बातें कही गई है उस के सम्मान को रखते हुए अपने बहुमत से उन को मत गिराइए ।

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE (Panskura) : Sir, I may be living far from the Contonment or the military area. But one point which I could not follow is about the constitution of the contonment Board. The situation in which this Contonment Board is placed can be compared as न घर का न घाट का This is the best example of being neither here nor there, neither fish nor fowl and the present Bill reflects that in absolute terms. If there is any merit or demerit in the Bill, I would say that it is neither good nor bad. But that should not be the intention of this Bill. Firstly, the objection raised is about the Compostion of the Contonment Board. Hon. Member Shri Baktha Darshan and Mr. Singh brought this Bill before the House as a non-official Bill. One of the principles underlined in that Bill was about the democratisation of the Board. Now, as far as this Bill is concerned, nowhere I see any attempt being made to democratise the functioning of the Board. The most interesting situation is that the constitution of the Board is that half of the Members of the Board are elected if you divide them into half—Members but this would be one less than the nominated members and any body would understand that it is very undemocratic. What is done here is that the post remains or rather is kept vacant. The official post is not filled so that the parity can be obtained. Nowhere in the legislation I have seen such a thing.

If you want to have a parity, do it right now. Why should you keep the position vacant and then say that there is a parity ? This is the reason why I say that it is absolutely undemocratic and I do not find any attempt to change the composition of the Board in any way in order to democratise its functioning. I totally subscribe to the views expressed by Mr. Bahuguna.

He said that more powers are being given to an executive officer.

From the point of view of democratization of these Boards, this Bill has totally failed, if that was conceived at all at any time. I think, it was never conceived otherwise two and a half years' term for the Vice-President, which every body has referred to, would not have been there. The reason advanced for that is that more than one non--official Member may have the opportunity of being the office bearer. Let them have this merry-go--round every year; why 2-1/2 years, so that the person concerned does not know anything before he is kicked out, and the real power remains with the nominated President and the executive. This Bill has, therefore, totally failed; in fact, it never conceived of democratization of the Boards.

First of all, **na ghat ka, na ghar ka** business should not be there. If you have decided already that in future, you will not have these cantonment boards, and instead you will have military stations, then there is nothing sacrosanct about these 62 Boards. What is the necessity of keeping these 62 Boards ? Not only that, you are even taking the power of bringing some more Members, and more cantonments will comeup with the naval estabiishments also. I do not see any reason for having such an exercise.

Now, about the encroaahment on Government land in the Cantonment areas. The Estimates Committee has rightly pointed out that a lot of encorachment on Government land is there, but the Boards have not enough people to stop that. It is a two-way affair. One, a lot of land is not being put into proper use, and on the other hand, land is not given for just causes. For example, in Kirkee, Poona, there are a lot of employees, about forty-thousand. and among them, I believe Bengalis are in good number. They have their organisation, Kali Bari; it is a social organisation. They had some land, but the Board said, that they could not have it. A lot of land is lying idle there, After a lot of hig-haggling, they are being given a piece of land which is disputed. What will a disputed Kali' do, I do not know ? This is on one hand, and on the other hand, a lot of encorachment is there.

I would not say that all the military officers are corrupt, but there are certain corrupt officers and everybody knows that. The land is being used for grazing of cattle, and for dairy purposes and other non-official things, which are not giving any revenue to the Board. It is being utilised by a number of military officers for their own benefit. With all this, I do not see how this Bill will improve the situration.

Finally, I would like to say two more things. Firstly, if you are going to keep the Cantonments, which, in my opinion, should not be there, but if you going to keep them, then raising of fines from Rs. 50/- to Rs. 250/- will not help. For example, I do not think, that Jalaphar Cantonment area in Darjeeling will ever be in a position to finance their own drinking water supply. They would not be able to solve their problem. I do not know, whether it is constitutional or unconstitutional.

But, I believe you will say it is constitutional. Then if the Defence Department is giving them money, it is no use giving them 33% or 1/3rd and keep them hanging as far as the drinking water is concerned. So, in this case a limited facility has to be granted by the Defence Department.

Lastly, Sir, I am afraid that in the provisions that have been made there is a lot of military imprint in them. I don't know whether the Minister has seen it or not. I see the definition of nuisance has to be redrafted. Naturally, if someone comments on them as nuisance, then he is liable to punishment. Then Sir, what is the meaning of nuisance? Nuisance includes any act of omission, place, animal or a thing which causes or is likely to cause injury,

danger, annoyance or offence to the sense of sight, smell or hearing, or disturbance to rest or sleep or which may be dangerous to life or injurious to health or property. Mr. Venkataraman may say that you will never commit any one of these. Just by going by me, he may hurt my sense of smell or hearing. Who knows? So, this is a kind of absolutely militaristic definition which will come down on the civilians or the military ersons in this are I don't know whether the Hon. Minister as seen this.

With all this, I would say I don't think that this Bill will serve any particulars purpose. So, I don't see any reason to support the Bill.

श्री कृष्णदत्त सुल्तान पुरी (शिमला) : मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह एक्ट 1924 में बना था। इसके तहत जिस तरह का प्रबंध सिविलयन के लिए अंग्रेजों द्वारा किया गया, वह बहुत बुरा था। उसके बारे में मैं आपको यान नहीं कर सकता। मेरे क्षेत्र में कसौली, सपाटू, जतोग, डगाशाई कंटोनमेंट एरियाज हैं। यहां की स्थिति के बारे में मैं आपको बयान नहीं कर सकता। यहां के रहने वालों की आर्थिक दशा बरबाद हो गई है। कसौली में सेहत अफ्जा मुकामात हैं। ज्योगरफी में भी यह बात आती है। लेकिन आज यहां के लोग बहुत बुरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज भी इन लोगों को मकान के खिड़की, दरवाजे तक बनाने में दिक्कत आती है। अगर ये टूट जाते हैं तो कई दिनों तक मंजूरी नहीं आती हैं। इससे ये लोग परेशान होते हैं।

सपाटू छावनी में हरिजनों के लगभग 27 परिवार रहते हैं। अब ये बढ़कर 50 हो गए हैं, क्योंकि जैसे किसी का लड़का अलग हो गया तो उसने अपनी अलग झोंपड़ी बना ली। इन लोगों को वहां से बेदखल किया जा रहा है और मुआवजे के तौर पर सिर्फ 1 लाख 75 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। जिन जमीनों पर वे काश्त करते थे वहां पर मिल्ट्री के मकान बन गए हैं। मैंने इस मामले की तरफ राज्य सरकार और प्रधान मंत्री जी का ध्यान भी आकर्षित किया है। नियम 377 के अधीन इस सदन का ध्यान भी इस तरफ आकर्षित किया है। मेरे पास जवाब भी आया है। इसमें बताया है कि इसके बारे में चिंतित है और जल्दी कार्यवाही की जाएगी।

मिल्ट्री के लिए हिली एरियाज में बहुत अच्छी-अच्छी जगह है। अभी कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि वहां पर सिविल पापुलेशन आ जाती है। हमारे दोनों मंत्री जी डिसीप्लीन को कायम रखने के लिए जितनी भी मिलिटरी की मदद कर सकें, वह एक अच्छी बात होगी। हमारे केन्टोनमेंट एरिया में कुछ चीड़ के दरख्त लगे हुए हैं। लेकिन ट्रंक गहरा करके उनको बरबाद किया जा रहा है। उनका आक्शन भी किया जाता है। वहां के नागरिकों के लिए किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। यहाँ तक कि उनके बच्चों को एजुकेशन की फैसलिटी भी नहीं मिली हुई है। सुबाथु में तो स्कूल खुला हुआ है लेकिन दिगशाई, कसौली और जतोग में सेंट्रल स्कूल नहीं है जहां तक केन्टोनमेंट बोर्ड के इलैक्शन का सवाल है, उसमें जो लोगों के इलैक्टेड मेम्बर्स हैं उनको ज्यादा अख्तियारात होने चाहिए। वहीं पर वाइस-प्रजीडेंट कार्यकाल ढाई साल का रखा हुआ है। मैं चाहता हूं कि वह पांच साल तक होना चाहिए। जो इलैक्टेड मैम्बर्स हैं, वे ही उसमें होने चाहिए। एक्जीक्युटिव आफिसर्स नहीं होने चाहिए। सिविल पापुलेशन को मिलिटरी एरिया से अलग कर दीजिए और जो हास्पिटल्स वगैरह हैं, वे भी राज्य सरकार को दें ताकि वे लोग इलाज करा सकें।

मैंने चन्डी मन्दिर, चन्डीगढ़ में देखा है कि वहां मिलिटरी छावनी का बड़ा भारी विस्तार हो रहा है। वहां दोनों तरफ केन्टोनमेंट है और बीच में नेशनल हाइ-वे निकलती है। मिलिटरी के आफिसर्स और दूसरे लोग भी वहीं से जाते हैं, यह एक खतरनाक बात है। आपको चाहिए कि चन्डीगढ़ से अलैदा लाईन

निकालकर नेशनल हाइ-वे में मिला दें और वहां मिलिटरी का ही टाउन रहने दें ।

मैं यह भी अर्ज करूंगा कि बहुत सी जगह तो कब्रीस्तान ने घेर रखी है, जो कि खाली पड़ी हुई है । दिगशाई टाउन की बुरी हालत है । एक तरफ तो अनवेज गांव और दूसरी तरफ धर्मपुर का एरिया है जिससे मिलिटरी छावनी की बिल्डिंग बनी हुई हैं । सारे टाउन की मिलिटरी एक जगह बैठा दी जाए तब भी वह जगह उनके लिए काफी है, बाकी सारा एरिया खाली है । जो जमीन खाली है वहां पर एनक्रोचमेंट चलता है । इसलिए, एनक्रोचमेंट हटाकर गरीबों को जमीन दी जाए । आपने जो केन्टोनमेंट में अमेंडमेंट करके सुधार करने की बात की है, उससे मैं समझता हूं लोगों को फायदा तभी पहुंचेगा जब उसमें और अमेंडमेंट करें जिससे वे लोग सुख की जिंदगी बसर कर सकें । केन्टोनमेंट एक्ट अंग्रेजों ने बना रखा है, जो लोगों की परेड कराने के लिए है । हमारे यहां कसौली में हर साल दुकानों का ऑक्शन होता है । मैंने मंत्री जी को एक पत्र लिखा था जिसके जवाब में इन्होंने लिखा कि "कृपया, अपना 23 दिसम्बर 1981 का पत्र देखें जिसके साथ आपने कसौली छावनी में कुछ दुकानों की हर साल नीलामी करने की प्रथा को बंद करने के बारे में मार्किट स्टाल होल्डर्स एसोसिएशन के मंत्री का पत्र भेजा है । इस संबंध में लोक सभा में 13 अगस्त 1982 को पूछे गए तरांकित प्रश्न संख्या-477 के उत्तर में, मैं स्थिति पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं । उत्तर की प्रति संलग्न है ।

इस समय ये दुकानें जिन लोगों के पास हैं, उन्हें इन दुकानों को स्थाई रूप से बेचना या दीर्घकालीन पट्टे पर देना कई कारणों से संभव नहीं है । जैसा कि आप जानते ही हैं, छावनी बोर्ड कसौली मौजूदा दुकानदारों को ही वार्षिक आधार पर पट्टे का नवीकरण करता रहा है और फिलहाल इस प्रक्रिया में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

मार्किट स्टाल होल्डर्स गसोसियेशन ने अनुरोध किया है कि किराया प्रणाली में एक रूपता लाने की दृष्टि से स्टेट अरबन एंड रेंट कन्ट्रौल एक्ट 197। को छावनी बोर्ड पर भी लागू किया जाये । लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि इस अधिनियम में छावनी बोर्ड की सभी परिसंपत्तियों को छूट देने के लिए विशेष रूप से व्यवस्था की गई है ।"

यह पत्र मंत्री जी ने मुझे 8 अक्तूबर, 82 को भेजा है । मैं अर्ज कर रहा हूं कि इस साल फिर नीलामी होगी और नीलामी देने वाले बाहर से आयेंगे । मंत्री जी का पत्र मेरे पास था कि नीलामी होगी, उन दुकानों की औक्शन हो गई और उसके बाद वह अपना कारोबार बंद करने पर आ गये । आप सोचिये एक साल में जो बिजनेसमैन औक्शन कर के दुकान लेता है, वह क्या सैटल हो सकता हैं ? उसने उधार भी देना है, करोबार भी करना है । मैं चाहता हूं कि आप ऐसी दया करें कि गरीब लोगों की जो दुकानें हैं, बाजार में जिनको सौदा नहीं मिलता, पहले मिलैट्री वाले वहां से परचेज करते थे, आज वह बिल्कुल नकारा हो रहे हैं ।

मेरी प्रार्थना है कि अगर आप सुधार चाहते हैं तो इस तरह का सुधार करें ।

यह एक्ट बहुत अच्छा है क्योंकि हमारे विद्वान रक्षा मंत्री हैं और जब ये फाइनेन्स मिनिस्टर थे तो फाइनेन्स का काम अच्छा चलता था और अब भी चलता है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने बजट पेश किया, अपोजिशन को पता ही नहीं लगा कि कैसा बजट था । सारे तारीफ में पड़ गये ।

आज मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि जहां फौजों का ध्यान रखना है, वह हमारे श्रमिकों को अच्छी नजर से देखते हैं । उनका भला हो

यह हम चाहते हैं, वह फूलें-फलें लेकिन इसके साथ ही यह भी चाहते हैं कि जो हमारे इलैक्टेड मेम्बर हैं उनकी पावर हो और वह सफल हों। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आशा रखता हूं कि आप मेरी बात पर ध्यान देंगे।

15.33 hrs.

[SHRI CHINTAMANI PANIGAHI : *in the Chair*]

श्री जयराम वर्मा (फैजाबाद) : सभापति महोदय, मैं छावनी संशोधन विधेयक के समर्थन के साथ-साथ कुछ अपने सुझाव भी रखना चाहूंगा। यह बात अपनी जगह सही है कि छावनियां मुख्य रूप से सैनिकों के रहने के स्थान हैं। इनकी स्थापना सैना की आवश्यकता की दृष्टि से की गई थी और वही उनको मुख्य उद्देश्य रहा है। इस बात को विचार करते वक्त आंख से ओझल नहीं किया जा सकता, लेकिन छावनियों के साथ जो सिविल पापूलेशन जुड़ गई है, जो बराबर बढ़ती गई है उनकी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं का सामंजस्य भी सैनाओं की आवश्यकता के साथ करना होगा।

1924 में पहली बार यह छावनी अधिनियम बना, उस समय पहली बार सिविल पापूलेशन को छावनी के प्रशासन में प्रतिधित्व दिया गया था। तब से कई संशोधन हुए और आखिरी संशोधन 1954 में हुआ। उससे कुछ बनके अधिकारों की वृद्धि हुई है, लेकिन यह जो संशोधन लाया गया है, यह बहुत दिनों के बाद आया है और कार्यकारी दल जिसकी स्थापना 72 में हुई थी, जिसने 73 में अपनी रिपोर्ट दी, उसके बाद भी 10 वर्ष के बाद यह लाया गया है। कार्यकारी दल के अध्ययन के आधार पर यह जो संशोधन विधेयक लाया गया है, यह भी आज की परिस्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। यह सही है कि इस संशोधन विधेयक के द्वारा कुछ लोकतंत्रीकरण किया गया है, जैसे नगरपालिका की तरह कैन्टूनमेंट बोर्ड में भी निर्वाचित और नामांकित सदस्यों और बोर्ड का कार्यकाल पांच वर्ष कर दिया गया है। यह व्यवस्था भी की गई है कि जब स्टेशन कमांडिंग आफिसर तीस दिन तक के लिए स्टेशन से बाहर हो, तो उस बीच में सिविल एरिया कमेटी में जो बाइस-प्रेजिडेंट होता है, जो निर्वाचित आदमी होता है, वह अध्यक्ष रहेगा। यद्यपि प्राइमरी शिक्षा और स्वास्थ्य का काम छावनी बोर्ड के अनिवार्य कर्तव्य से निकाल कर वैवेकिक कर्तव्य में रख दिया गया है, और सिविल एरिया कमेटी के वैवेकिक कर्तव्य बढ़ाए भी गए हैं। जो कर्तव्य छावनी, बोर्ड के हाथ में थे, वे उससे निकाल कर सिविल एरिया कमेटी को दिए गए हैं। यह अच्छी बात हुई है।

छावनी बोर्डों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती। सड़कों का इन्तजाम अच्छा नहीं रहता। दूसरे कामों के लिए पैसा नहीं रहता इसलिए उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए व्यवस्था की गई है। सरकार उन को आदेश दे सकती है कि मौजूदा करों में वृद्धि की जाए या ऐसे नये कर लगाए जा सकते हैं, जो उस स्टेट की नगरपालिकाओं में लगते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार आदेश दे, उसकी जरूरत नहीं थी। बोर्ड को कर अपने आप लगाने का अधिकार होना चाहिए।

इसमें कुछ व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं जो लोकतंत्रीकरण के विरुद्ध जाती है। जैसा कि कई सदस्यों ने कहा है, जब चुने हुए और नामांकित सदस्यों का कार्यालय पांच वर्ष कर दिया गया है, तो उपाध्यक्ष का कार्यकाल ढाई वर्ष क्यों किया गया है। यह बात जनतंत्रीकरण के अनुकूल नहीं है, बल्कि उसके विरुद्ध है। मुझे आशा है कि माननीय रक्षा मंत्री इस पर पुनर्विचार कर के इसमें अपनी तरफ से संशोधन करा देंगे कि उपाध्यक्ष का कार्यकाल पांच वर्ष होगा।

धारा 17 की उपधारा (1) के बाद उपधारा (1क) जोड़ी गई है, जिसमें व्यवस्था की गई है कि अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा स्थानों से सदस्य चुना जाए, तो अंतिम घोषणा के 14 दिनों के भीतर उसको एक स्थान छोड़ कर बाकी स्थानों से त्यागपत्र दे देना चाहिए। असेम्बली और लोक सभा में जो व्यवस्था है, यह उसके अनुरूप है। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि अगर वह चुना हुआ सदस्य 14 दिन के अंदर एक स्थान को छोड़ कर बाकी स्थानों से त्यागपत्र नहीं दे देता है, तो उसके सब स्थान खाली माने जाएंगे। ऐसा तो कहीं नहीं होता है। अगर एक आदमी दो स्थानों से चुन लिया जाता है, तो उसका चायस होता है कि एक स्थान पसन्द कर ले और दूसरे से त्यागपत्र दे दे। लेकिन यह कहीं नहीं होता कि अगर वह भूल जाए और दोनों स्थानों में से किसी को न चुने और दूसरे स्थान से 14 दिन के अंदर त्यागपत्र न दे, तो उसके दोनों स्थान खाली मान लिए जाएंगे। इसमें संशोधन की आवश्यकता है। इसको इस शक्ल में रखना बिल्कुल गलत होगा। एक तरफ जनतंत्रीकरण की बात कही जाती है और दूसरी तरफ उसके बिल्कुल विरुद्ध काम किया जाता है। इसलिए इसको ठीक करने की जरूरत है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि सुविधाओं में बहुत कमी है। वहां पर सड़कों का इंतजाम और दूसरी व्यवस्था सफाई आदि की ठीक नहीं है। यह उचित नहीं होता है कि एक हिस्से में इन्तजाम हो और दूसरे हिस्से में बिल्कुल भी इन्तजाम न हो-यह बात अच्छी नहीं लगती है। इसको आपको ठीक करना होगा। उन की सुविधाओं को बढ़ाना होगा, नहीं तो यह एक मजाक सा होगा।

दूसरी बात जो लोकतंत्रीकरण के बारे में की गई है, वह यह है। छावनी बोर्ड में सरकारी पक्ष के सदस्य निर्वाचित पक्ष के सदस्यों से एक ज्यादा है। बहुमत सरकारी पक्ष का रहा, यह बात ठीक नहीं है इसको भी दूर किया जाना चाहिए। प्रशासनिक आदेश द्वारा यह पहले से कर दिया गया है कि एक नामिनेटेड सदस्य नोमिनेटेड नहीं किया जाएगा, जिससे दोनों पक्ष बराबर हो जायेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब प्रशासनिक आदेश द्वारा ऐसा कर दिया गया था तो यह संशोधन लाते विधेयक लाते वक्त इस संशोधन को इसमें क्यों अन्तर्निहित नहीं किया गया। यह व्यवस्था इसके अन्दर कर देनी चाहिए थी। जो प्रशासनिक आदेश द्वारा किया गया था, उसको यहां पर संशोधन लाने के बाद नहीं किया जा रहा है, इसके मायने यह है कि जो कुछ किया गया था, उसे फिर से वापिस लिया जाएगा। यह बात अच्छी नहीं है।

मेरे भी निर्वाचन क्षेत्र में एक फैजाबाद केन्टोनमेंट बोर्ड है। अयोध्या भगवान राम जी की जन्मभूमि है। वहां पर फैजाबाद में एक गुपतार घाट है, यह वह स्थान है जहां पर भगवान राम अपने भाइयों के साथ इस संसार से अदृश्य हुए थे। वह स्थान बहुत ही पवित्र माना जाता है। जिस तरह से अयोध्या में लोग पवित्र स्थान मानकर स्थान करते हैं, उसी तरह से गुपतार घाट पर भी लोग बड़ी संख्या में स्नान करते हैं। विदेशियों ने भी इस स्थान को पवित्र माना है। वहां जाने के लिए जो सड़क और सम्पर्क मार्ग है, वह भी बहुत ही खराब हालत में हैं। छावनी बोर्ड को इस बात की फिक्र नहीं है। लोग जो स्नान करने जाते हैं, वे छावनी बोर्ड के एरिए से होकर जाते हैं, वह सड़क भी ठीक नहीं है, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि गुपतार घाट में पुराने मंदिर है, जो कि ढहते जा रहे हैं। जिन लोगों ने उसको बनाया था, उनका अब इन्टरेन्ट नहीं रह गया है। यह केन्टोनमेंट के करीब हैं, इसलिए चाहे केन्द्रीय सरकार को या राज्य सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उनका पुनर्निर्माण

किया जाना चाहिए और उनकी रक्षा की जानी चाहिए ।

केन्टोनमेंट बोर्ड से मिली हुई एक और सड़क है, जिस पर से होकर कार्तिक के महीने में अक्षय नवमी के दिन 14 कोसी परिक्रमा होती है । लोग उस सड़क पर से होकर जाते हैं । यह सड़क भी केन्टोनमेंट के पास है । केन्टोन मेंट बोर्ड कहता है कि यह सड़क हमारी नहीं है और राज्य सरकार कहती है कि यह सड़क हमारी नहीं है, उसकी हालत बहुत खराब है । लाखों यात्री उस सड़क से पैदल नंगे पैर जाते हैं । इसलिए इसकी भी व्यवस्था करना बहुत जरूरी है । यह ठीक है कि आमदनी कम है, लेकिन सरकार कुछ अनुदान देती है और कभी कभी विशेष अनुदान भी दिया जाता है । लेकिन उससे काम नहीं चलता है, इसमें और पैसा खर्च करने की जरूरत है ताकि वह सड़क ठीक हो सके और वहां के लोगों की सुविधाओं को बढ़ाया जा सके ।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यबाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं ।

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North East) : Sir, I have nothing much to say on this Bill, except three points, which I hope the Defence Minister would try to pay some attention to.

First of all, section 2 (10) of the cantonment Act gives power to the Cantonment Board to have shops, such as ration shops and so on and there is a great deal of corruption in that. My colleague on this side, Dr. AU Azmi has documented this in great detail and has given it in fact to the Minister Supplies of who has answered a Calling Attention Notice on this question. So, I would like the Ministry of Defence to look into these large-scale complaints, or wide-spread complaints, about the handling of licences for commercial purpose in the Delhi Cantonment Area. The Minister should see that these powers are properly exercised.

Secondly, some of the cantonments are very arbitary in letting out houses under the Public Premises Act. I have come across a number of cases in my tour as a member of the Estimates Committee. In fact, I have written to the Defence Minister about a glaring case of a very poor old lady in Shillong, who was given permission to run a shop. She was paying rent regularly and had all the receipts and so on with her. One day the Cantonment Administration decided that her shop should not be there and she has been removed without compensation whatsoever. This kind of arbitrariness, what is called the application of military psychology on civilians, should not be there and there should be some safeguards against this.

The third and final point that I would like to make is the availability of civli services in cantonment areas. Here I would draw the Minister's attention to the 47th Report of the Estimates Committee, where it is stated in para 3.11.

> "The civic services provided in the cantonment areas are deficient in many respects. This is indeed a sad commentary on the functioning of the Cantonment Boards, which work under the overall control and direction of the Central Government."

The Committee has given some suggestions, which need to be taken very seriously.

I have received a number of complaints from the State of Tamil Nadu, to which the Defence Minister belongs. I qu ote here letters from a group called The Association of Tax Payers, who have given me a list of 9 letters written in a period of two months. They have written to the Defence Minister and they have got no reply at all. This is signed by Shri CK Kesava Mudaliar, Secretary of the Association of Tax Payers. They have been complaining about the lack of facilities and the existence of a large number of grievances of civilians in cantonments.

These are the three points that I wanted to make.

श्री नन्दी येल्लैया (सिद्धिपैट) : सभापति महोदय, रक्षा मंत्रालय की ओर से केन्टूनमेंट एक्ट में संशोधन करने के लिये जो बिल सदन के सामने रखा गया है, उस पर कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। केन्टूनमेंट की जो डेफिनीशन है उस के बारे में बहुत से लोगों का यह ख्याल है कि केन्टूनमेंट का जो एरिया होता है उस में 50 फीसदी प्राइवेट लैंड होती है और 50 फीसदी डिफेन्स का इलाका होता है। जहां तक इस में मेम्बर्स की टर्म का सवाल है उसे तीन साल से बढ़ा कर पांच साल करने की बात है उसका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन जिस तरह से हमारे यहां नगरपालिका का सिस्टम होता है या म्युनिस्पिल कारपोरेशन के काम करने का तरीका होता है- मैं चाहता हूं कि बहुत से सदस्यों ने जो अपने विचार प्रकट किये हैं कि ढाई साल के बजाय पाँच साल क्यों न किया जाय, मैं चाहता हूं कि जेसे मेयर के चुनाव का एक सिस्टम बना हुआ है, वैसे ही यहां पर भी होना चाहिए। जैसे मेयर का चुनाव होता है, यहां पर अगर हर साल न हो, तो कम से कम ढाई साल में इस को किया जाए। मेयर के 5 साल के टर्म में, एक दो जो वहां के इलैक्टेड मेम्बर होते हैं, उनको वाईस-प्रेसीडेंट का काम करने का मौका मिलता है। इसी तरह से यहां पर भी होना चाहिए।

मैं रक्षा मंत्रालय के मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि शायद आप को मालूम होगा कि केन्टोनमेंट का जो आप का काम करने तरीका है, वह कोई बहुत ठीक नहीं है सिकन्दराबाद में 30 काआपरेटिव सोसाइटीज हैं। अब मकानात बनाने के लिए, एक्जीक्यूटिव आफिसर के पास कागजात दाखिल करने के बाद ले-आऊट की सेंक्शन के लिए उसे पूना भेजना पड़ता है। ले-आऊट की जो सैंकशनिंग आथेरिटी है उस को पूना के बजाए एक्जीक्यूटिव आफिसर को क्यों न वह आथेरिटी दी जाए जिस से पूना भेजने में जो देरी होती है, वह बच जाए। मैं रक्षा मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि शायद उनको मालूम होगा कि उन के आफिस के अन्दर, श्री वेंकटरामन और श्री सिंह देव जी के आफिस के अंदर इस सिलसिले में एक मीटिंग बुलाई गई थी। केन्टोनमेंट बोर्ड में आल्रेडी सैंक्शन होने के बाद पूना में जब कागजात को भेजा गया, तो वहां पर दो साल डिले हुई और यह सही काम नहीं हुआ। इसलिए मैं रक्षा मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि पूना को भेजने की बजाए, जो केन्टोनमेंट बोर्ड है, जो एक इलेक्टेड बोडी है और मिलिट्री का कमान्डर इस का सदर होता है, क्यों नहीं वहीं पर सैंकशनिंग आथेरिटी कर दी जाए। अगर ऐसा किया गया, तो यह बहुत मुनासिब बात होगी।

एक दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसे लोक सभा या राज्य सभा या विधान सभा या सरपंचों की मीटिंग होती है, तो वहां पर जो सदस्य आते हैं, उनको सिटिंग फी दी जाती है इसी तरह से यहां पर भी मीटिंग करने के लिए आनरेरी सीटिंग फी होनी चाहिए। जैसे कारपोरेशन का चुनाव होता है या विधान सभा का चुनाव होता है, उसी तरह से यहां भी होता है और मीटिंग स्टैंड करने के लिए जो लोग जाते हैं, उन को सिटिंग एलाउन्स देना चाहिए और उनकी दूसरे मेम्बरों की तरह से रेस्पेक्ट होनी चाहिए।

एक और बात मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्टोनमेंट के सैनिकों के लिए काम करने वाले जो बारबर होते हैं, बड़े शर्म की बात है कि 15 साल भारत की आजादी के बाद भी, कुछ ऐसी फोर्सेज हैं, कुछ ऐसे काम करने वाले हैं, जिन से कान्ट्रेक्ट बेसिस पर काम लिया जा रहा है। जब श्री सी०पी०एन सिंह रक्षा मंत्रालय में थे, तब उनके जमाने में मैंने उन से रिक्वेस्ट की थी कि इस कान्ट्रेक्ट सिस्टम को एबोलिश किया जाए। 5-5 और 10-10 साल से वे एक बोंडेड लेबर की तरह से काम कर रहे हैं। मैं

चाहता हूं कि इस सिस्टम को एबोलिस किया जाए।

एक और बात यह कहना चाहता हूं कि केन्टोनमेंट के लिए जो ग्रान्ट दी जाती है, वह तीन टाइप्स आफ केन्टोनमैंट मान कर सैंक्शन होती है। श्री सिंह देव और श्री वेंकटरामन को मैं दावत देता हूं कि वे कभी केन्टोनमेंट्स को देखने आंए और वहां का टूर करें। वहां पर जो रोड्स हैं, उनकी कंडीशन बहुत खराब है। आज हम ने डिफेन्स के लिए काफी रकम रखी है। क्यों नहीं वहां पर जो सिविलयन लोग हैं, उनकी एमेनिटीज को आप बढ़ाते हैं। उनके लिए कम्युनिटी हाल आप बनाइए। आप यह भी देखेंगे कि आज केन्टोनमैंट्स स्लम्स से भरे पड़े हैं। आप जो स्पेशल ग्रान्ट देते हैं, वह काफी नहीं है और वहां पर जो स्लम्स हैं, उनको ठीक करने के लिए आप उन को और सहायता दीजिए। वे लोग भी पार्लियामेंट और विधान सभाओं के चुनावों में भाग लेते हैं और अपना बोट डालते हैं। जिस समय हम चुनाव-क्षेत्रों में जाते हैं, तो लोग हम से पूछते हैं कि एक सदस्य की हैसियत से आप का क्या कन्ट्रीब्यूशन रहा है। वे लोग पूछते हैं कि आपने हमारी समस्याओं के बारे में क्या किया है।

इस बिल का समर्थन करते हुए मैं रक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस ग्रांट सिस्टम को बदल दीजिए। इसमें इजाफा करिए। हमारे यहां सिकदराबाद कंटोनमेंट एरिया की बुरी हालत है। कई स्लम एरियाज हैं। शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस पापूलेशन की वहां पर मेजारिटी है। मैं समझता हूं। कि आप इस ओर विशेष ध्यान देंगे। मुझे जो समय दिया गया है इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

1924 में एक्ट बनाया गया था और आज 1983 में यह एक्ट पेश कर रहे हैं। मैं अभी तक इस एक्ट की मंशा को नहीं समझ पाया हूं। आज हिन्दुस्तान को दुनियां का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश कहा जाता है। ऐसे देश में इस तरह का बिल कहां तक उचित होगा, इस पर विचार करना चाहिए।

मैंने इस बिल को देखा है। इसमें बेसिक चेंचेज क्या किए गए हैं। आज भी वहां के नागरिक शासन करने के लायक नहीं हैं ? क्या हम लोग वहां पर अस्पताल, सड़क, स्कूल और रोशनी की व्यवस्था नहीं कर सकते ? हिन्दुस्तान में लोगों ने लोकतांत्रिक पद्धति में विश्वास किया है और हमारी बुद्धि को आज तक किसी ने चुनौती नहीं दी है। या तो आप सिविक एमिनिटीज के लिए फुलफ्ज्ड म्युनिसपेलिटीज घोषित कीजिए। आप देखिए कि इसमें वाइस चेयरमैन इलेक्टेड होगा और चेयरमैन इलेक्टेडनहीं होगा। इलेक्टेड वाइसचेयरमैन एक सरकारी अधिकारी के नीचे काम करेगा। सारे बिल में नौकरशाही हावी है। आप जैसे व्यक्ति के सभापतित्व में इस बिल पर विचार किया जा रहा है। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस बिल को आप सलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए। इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाइए। आप सुओमोटो मूव कर सकते हैं। मानसून सेशन में इसको ला सकते हैं।

इसमें चेंचेज क्या हैं। रक्षा मंत्री जी ने इसमें सिविक राइट्स दिए हैं। इलेक्टेड आदमी को अधिकारी के नीचे रख दिया और सारा काम दिल्ली से शासित होगा। यह कौन सा तरीका है। सिविक काम करने के लिए दिल्ली के साउथ एवेन्यू के चक्कर लगाने होंगे। अगर कोई मिनिस्टर को कहे कि आप सेक्रेटरी के नीचे काम करिए तो कैसा लगेगा। मैं अपने शहर की म्युनिसपेलिटी का 20 साल तक चेयरमैन रहा हूं। मैं इस बात को कह सकता हूं....।

MR. CHAIRMAN : Bureaucracy is a part of democracy, I think.

श्री मूलचन्द डागा : मैं अर्ज कर रहा हूं कि मैंने इस बिल को पढ़ा है। कुत्ते के लिए इस बिल में एक पेज लिखा गया है और वाइस चेयरमैन के लिए चार लाइनें लिखी गई हैं।

MR. CHAIRMAN : Would you like to continue to-morrow ?

SHRI MOOL CHAND DAGA : I would like to continue and convince.

इसको आप सलेक्ट कमेटी को भेजें और प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाएं।

16.00 hrs.

DISCUSSION ON STATEMENT MADE BY MINISTER OF HOME AFFAIRS ON MAY 4, 1983 RE SITUATION IN ASSAM

MR. CHAIRMAN ; The House will now take up Discussion under Rule 193 regarding the situation in Assam. Dr. Subramaniam Swamy.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North East) : Sir, under rule 193, I would like to raise a few questions that arise out of the Home Minister's statement made yesterday on situation in Assam.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur) : Where is the Prime Minister ?

MR. CHAIRMAN : I think, Ministers are here. The Home Ministers himself is present.

PROF. MADHU DANDAVATE : How many dead bodies are required for her to be present in the House ?

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Nellie is a name, that is known all over the country. It is a cluster which is on the high-way in Assam where thousands of people where brutally killed in cold blood, the pictures of which we have seen in many magazines.

But the Nellie incident took place on 18th of February, and today being the 5th of May, we are discussing this largely in the light of a new evidence that has come in the form of an article published in the *India today* the author of which is Mr. Arun Shourie. This was brought to the House by my hon. friend here, Mr. Madhu Dandavate who is also the leader of our Party and he demanded a discussion on the subject. But ballot being there, my name is first. So, I am leading the discussion.

PROF. MADHU DANDAVATE : Ballot is better than bullet.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : Mr. Sathi made a long statement in response to the demand for a discussion by Mr. Dandavate and I have gone through his statement with great care which it deserves and I was surprised to see the tone of Mr. Sethi in dealing with the problem and in handling the materials which he should be really placing before the House. He says in his statement :

> "Any acrimonious debate at this stage as to what went wrong and who are responsible is not only premature but also likely to upset this process of reconciliation and healing. We have no intention to protect any administrative lapses that might have occurred despite the arrangements. We have also to keep in view that an elected government is in office and it must have the opportunity and also....."

Mr. Sethi is against an acrimonious debate. Why ? We are all against acrimonious debate. Nothing is going to be achieved and no purpose is to be served by an acrimonious debate. But the fact is, we want to konw what happend ? If the debate here just goes to the Press and is likely to create problems. Mr. Sethi could